

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा

सूरजदेवी बनाम श्रीमल

प्रकरण संख्या - 151/2024 वाद

GCMS No. - 2024/536

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)  
(पीठासीन अधिकारी - विकास पंचोली आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 151/2024 वाद

GCMS No. - 2024/536

1. सूरजदेवी पुत्री मांगीलाल जी महाजन निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा।
2. चंदादेवी पुत्री मांगीलाल जी महाजन निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा।
3. कांतिलाल पिता मांगीलाल जी महाजन निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा।

-वादीगण

बनाम

1. शेरमल पिता ईन्द्रमल जी महाजन निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा।
2. तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

पत्रावली आज दिनांक को वादिया के अधिवक्ता श्री रामचंद्र धाकड़ की उपस्थिति में पत्रावली अन्तिम निपटारा हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वादी का वाद बाबत घोषणात्मक हेतु डिक्री किया जाता है तथा विवादित आराजियात वाके मौजा भागल पटवार हल्का बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा के खाता संख्या 34 नवीन आ० न० 62 रकबा 0.5600 हेक्टेयर, आ० न० 63 रकबा 1.4500 हेक्टेयर, आ० न० 64 रकबा 0.6300 हेक्टेयर, आ० न० 65 रकबा 3.3500 हेक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 5.9900 हेक्टेयर, मौजा बिनोता पटवार हल्का बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा के खाता संख्या 574 आ० न० 1988 रकबा 0.0100 हेक्टेयर ट्युबवैल, आ० न० 1989 रकबा 2.4200 हेक्टेयर, आ० न० 1990 रकबा 0.4100 हेक्टेयर, आ० न० 2084 रकबा 1.6300 हेक्टेयर, आ० न० 399 रकबा 0.1000 हेक्टेयर, आ० न० 489 रकबा 0.1700 हेक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 4.7400 हेक्टेयर, मौजा बिनोता पटवार हल्का बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा के खाता संख्या 575 आ० न० 397 रकबा 0.0500 हेक्टेयर गे० मु० चाह आ० न० 398 रकबा 1.4300 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.4800 हेक्टेयर, मौजा बिनोता पटवार हल्का बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा के खाता संख्या 445 आ० न० 1704 रकबा 0.9900 हेक्टेयर आ० न० 1705 रकबा 0.3700 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.3600 हेक्टेयर भूमि में संयुक्त रूप से मांगीलाल के वारिस होने से 1/2 हक हिस्सा तथा 1/2 हक हिस्सा प्रतिवादी एक शेरमल के नाम दर्ज किए जाने एवं अमल दरामद किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया



(विकास पंचोली)  
सहायक कलक्टर,  
निम्बाहेड़ा  
सहायक कलक्टर  
निम्बाहेड़ा